

प्रेषक,

उप निदेशक कारखाना, उ०प्र०
लखनऊ संभाग,
23 ए०पी० सेन रोड, लखनऊ ।

सेवा में,

आकूपायर
मेसर्स बजाज एनर्जी लि०,
कुन्दरखी, पो० गोबिन्दपारा, गोण्डा ।

संख्या 173 एफ/डीडीएफ/रेखांकन/

दिनांक : 22/21 2016

विषय— कारखाना भवन के रिवाइज्ड रेखांकनों का अनुमोदन एवं स्थायित्व प्रमाणपत्र की स्वीकृति ।

महोदय,

आपके कारखाने भवन के रिवाइज्ड रेखांकन इत्यादि जोकि सहायक निदेशक कारखाना, फैजाबाद के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 04-02-2016 को प्राप्त हुए हैं, उनको कारखाना अधिनियम, 1948 एवं उसके अंतर्गत निर्मित उ०प्र० कारखाना नियमावली, 1950 के अनुसरण में निम्न निर्देशों के साथ अनुमोदित करके इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किए जाते हैं: :-

1— प्रदूषण विभाग का अद्यतन सहमति पत्र प्रेषित करें ।

साथ ही स्थायित्व का प्रमाण पत्र दिनांक-24.11.2015 जो श्री एस०बी०एस० कश्यप द्वारा हस्ताक्षरित है तथा वर्करूम कारखाना भवन के लिए है जैसा कि रेखांकन संख्या बीईएल/एस/जीएनडी/15 में दर्शित है, को निम्नांकित अश्वशक्ति के प्रयोगार्थ स्वीकार किया जाता है ।

8265.44 एच०पी० इलेक्ट्रिक
500 केबीए डी०जी०सेट स्टैण्डबाई
30 एमडब्लू टरबाईन

संलग्नक:

रेखांकन — एक सेट
फार्म नं० 1— एक
प्रश्नोत्तरी — एक
प्लोचार्ट—एक

महोदय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
उप निदेशक कारखाना, उ०प्र०
लखनऊ संभाग, लखनऊ

संख्या एफ/डीडीएफ/रेखांकन
प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित :-

दिनांक : 2015

1. सहायक निदेशक कारखाना, उ०प्र०, फैजाबाद को अनुमोदित रेखांकनों के सेट सहित प्रेषित ।
2. लाइसेंस पत्रावली हेतु ।

(अनुराग श्रीवास्तव)
उप लखनऊ संभाग, लखनऊ
लखनऊ संभाग, लखनऊ ।